दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: PLEXHO/Cir/ 907 27.02.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: ईपीसीजी योजना - एफटीपी, 2023 की प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी) के पैरा 5.17(ए) के अनुसार औसत ईओ में राहत।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि डीजीएफटी ने ईपीसीजी योजना के संबंध में दिनांक 26 फरवरी 2026 को नीति परिपत्र संख्या 10/2025-2026 जारी किया है। एफटीपी, 2023 की प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी) के पैरा 5.17(ए) के अनुसार, उन क्षेत्रों के निर्यातकों को औसत निर्यात दायित्व (ईओ) में राहत प्रदान की जाएगी, जहां पिछले वर्ष की तुलना में कुल निर्यात में 5% से अधिक की गिरावट आई है। तदनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए औसत ईओ को संबंधित क्षेत्र/उत्पाद समूह के निर्यात में गिरावट के अनुपात में कम किया जाएगा।

इसका तात्पर्य यह है कि जिस क्षेत्र/उत्पाद समूह में 2023-24 की तुलना में 2024-25 में ऐसी गिरावट देखी गई, वह इस राहत का हकदार होगा।

परिपत्र के अनुसार, विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक ने सभी क्षेत्रीय प्राधिकरणों और डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों से इसका संज्ञान लेने और उक्त नीति परिपत्र में उल्लिखित आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक नीति परिपत्र का संदर्भ लें, जिसमें 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान निर्यात में प्रतिशत गिरावट दर्शाने वाले उत्पाद समूहों की सूची शामिल है, जो उसमें संलग्न है।

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260227024720.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल